

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक.....

संख्या-13/शक्ति प्र0-01/2016 का0-...../उपायुक्त, राँची के ज्ञापांक 884 दिनांक 21.04.2016 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में दिनांक 24.04.2016 को माननीय प्रधानमंत्री के राँची में ट्रांजिट विजिट के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत दिनांक 24.04.2016 के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है:-

- i. श्री अरुण वाल्टर सांगा, परि० निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, राँची।
- ii. श्री राजेश कुमार, अंचल अधिकारी, बुँडू।
- iii. श्री सच्चिदानन्द कुमार वर्मा, अंचल अधिकारी, खलारी।
- iv. श्री अमर प्रसाद, अंचल अधिकारी, ओरमांझी ।
- v. श्री जॉन मारकुश मिंज, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी, राँची।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

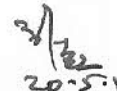
(उमेश चन्द्र सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 13/शक्ति प्र0-01/2016 का0...../.....

राँची, दिनांक.....20.5.16

प्रतिलिपि:- श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, ई0- गजट को ई0-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


20.5.16
सरकार के अवर सचिव।